

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 1991 (तिरुवा)

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम अमल जयन मौर्य 2. वर्तमान धारित पद अतिरिक्त कार्यपालक (II) 3. कार्यालय का नाम मुख्य अभियंता (जे.ब्लो.एम. 2)  
 प.प. 18220/- + 3800/- ग्रेड 5. मविध निधि क्रमांक 25970301 6. कर्मचारी संख्या 91340355

सं. जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यारे		वर्तमान मूल्य	यदि साथ के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जितकी गई हो उसका नाम तथा ब्यारे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. खैरी, महाराजपुर अधिसारनाल, जयपुर	घर	3000 वर्ग फीट	50,000/-	स्वयं के नाम पर	पिता द्वारा भेंट वर्ष 1999	तिरुवा	देमाइटी मध्य में
2. कुदवाड़ी, अमरवारा जयपुर, जयपुर	भूमि (फ्लॉट)	2000 वर्ग फीट	12,00,000/-	स्वयं के नाम पर	स्वयं की पत्नी के नाम पर (ला. 1650 वर्ग फीट का प्लॉट का भू-पट्टा 2013 में अर्जित किया)	तिरुवा	स्वयं की

हस्ताक्षर Mourya  
 नाम अमल जयन मौर्य  
 पद अतिरिक्त कार्यपालक (II)

- \* जहां लागू न हो काट मौजिए
- \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी—मंडल द्वारा प्राइम मंत्र शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लॉबेड के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे।

इस कार्यालय संपलक्ष्य कराया जाना भुविश्चित करें।  
 संलग्न - उपरोक्तानुसार